

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त 2024—श्रावण 25, शक 1946

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, नगर परिषद, औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

औबेदुल्लागंज, दिनांक 5 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/767/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक, 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के उपबंधों के अधीन नगर/परिषद औबेदुल्लागंज जिला रायसेन की स्थापना में अनुसीची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:—

अनुसूची-एक
नगर परिषद औबदुल्लागंज जिला रायसेन
अनुसूची-दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के लिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निःशक्त जनों के लिये प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जानेहेतुपदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजनों की लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				योग (7+8+9+10)	रिमांक
						दृष्टि बाधित और दृष्टि बाधित (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकामोहरे डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीगारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (नियमित)	15	46	1	0	0	0	1	1	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संविदा)	31		2	0	1	1	0	2	-
			46		3	0	1	1	1	3	-

^

सोनाली शर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, सुल्तानपुर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

सुल्तानपुर, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/760 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद सुल्तानपुर जिला रायसेन की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद सुल्तानपुर जिला रायसेन

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/ संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+ 8 + 9 + 10)	रिमार्क
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौद्धापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	7		0	0	0	0	0	0	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संविदा)	13	20	1	1	0	0	0	1	-
योग			20	20	1	1	0	0	0	1	-

अशोक कुमार कैथल, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

बरेली, दिनांक 9 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/2067 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद बरेली जिला रायसेन की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद बरेली जिला रायसेन

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+ 8 + 9 + 10)	रिमार्क
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	21		0	0	0	0	0	0	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संविदा)	42	63	3	1	1	1	0	3	-
योग			63	63	3	1	1	1	0	3	-

हरिशंकर वर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, रायसेन, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 9 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/.00/.. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका परिषद रायसेन जिला रायसेन की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर पालिका परिषद रायसेन जिला रायसेन

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/ संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+ 8 + 9 + 10)	रिमार्क
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, लौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	29	88	0	0	0	0	0	0	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संविदा)	59		4	1	1	1	1	1	4
योग			88	88	4	1	1	1	1	4	-

सुरेखा जाटव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, शाहगंज, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

शाहगंज, दिनांक 8 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/821. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद शाहगंज जिला सीहोर की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद शाहगंज जिला सीहोर

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/ संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+ 8 + 9 + 10)	रिमार्क
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारों और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	6		0	0	0	0	0	0	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संविदा)	11	17	1	0	0	0	1	1	-
योग			17	17	1	0	0	0	1	1	-

रामानुज मिश्रा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद्, इछावर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

इछावर, दिनांक 7 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/.903:- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद इछावर जिला सीहोर की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद इछावर जिला सीहोर

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/ संविदा)	सीधों भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+ 8 + 9 + 10)	रिमार्क
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1. 5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1. 5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बीजापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	10		0	0	0	0	0	0	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संविदा)	21	31	1	1	0	0	0	1	-
योग			31	31	1	1	0	0	0	1	-

धर्मराज यादव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद्, बुदनी, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

बुदनी, दिनांक 5 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/1671 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद् बुदनी जिला सीहोर की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद् बुदनी जिला सीहोर

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/ संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+ 8 + 9 + 10)	रिमार्क
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1. 5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1. 5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	11	34	0	0	0	0	0	0	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संविदा)	23		1	0	0	1	0	1	-
योग			34	34	1	0	0	1	0	1	-

सतीश मालवीय, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगरपालिका, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 5 अगस्त 2024

क्रमांक 1.15.89 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016) का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका खरगोन जिला खरगोन की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर पालिका खरगोन जिला खरगोन

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र	पद/सर्वग का नाम (नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निश्चयन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/सर्वग एवं संख्या				योग (7+8+9+10)
						दृष्टबाधित और कम श्रुति बाधित (1.5%)	बहरे और दृकम सुनने वाले (1.5%)	लोकमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है. सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग युक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्क्युलर डिस्ट्रोफी (1.5%)	ऑटिज्म, चोइडज दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहा.राज.निरी.	तृतीय	12	3	1	1	0	0	0	1
2	सहा.वर्ग-03	तृतीय	21	9	1	0	1	0	0	1
3	भृत्य	चतुर्थ	44	26	3	1	0	1	1	3
4	भृत्य (संविदा)	चतुर्थ	27	27	2	0	0	1	1	2
5	सफाई सरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	132	132	8	2	2	2	2	8
योग			236	197	15	4	3	4	4	15

मंशाराम निंगवाल, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, कसरावद, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

कसरावद, दिनांक 5 अगस्त 2024

कमांक 1675 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद कसरावद जिला-खरगोन की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक नगर परिषद कसरावद जिला खरगोन अनुसूची- दो दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम(नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है. सेरेब्रल पाल्सी, कुछ रोग मूक, बौनापन, एसिड अटैक पीडित. मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक संविदा	चतुर्थ	30	30	2	0	0	1	1	2
	योग		30	30	2	0	0	1	1	2

कमलेश गोले, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

मण्डलेश्वर, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक...1531...दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद मण्डलेश्वर, जिला खरगोन की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर परिषद मण्डलेश्वर, जिला खरगोन

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम(नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीगारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ	24	7	1	0	0	0	1	1
2	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	16	16	1	1	0	0	0	1
	योग		40	23	2	1	0	0	1	2

शिवजी आर्य, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, महेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

महेश्वर, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक 974 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद महेश्वर, जिला खरगोन की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर परिषद महेश्वर, जिला खरगोन

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम(नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्टबाधित और कम श्रुति बाधित (1.5 %)	बहरे और सुनने वाले (1.5 %)	लोकमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है. सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बॉनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ	18	7	1	1	0	0	0	1
2	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	36	36	2	0	0	1	1	2
	योग		54	43	3	1	0	1	1	3

मनोज शर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगरपालिका, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

बड़वाह, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक/433 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका बड़वाह जिला-खरगोन की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक नगर पालिका बड़वाह जिला-खरगोन

अनुसूची- दो दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या			योग (7+8+9+10)	
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%)	कहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	संज्ञाबद्ध डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, संरक्षण पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, यौनापन, एसिड अटैक पीडिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5%)		ऑटिज्म, पौष्टिक दिव्यांगता, स्पोन्डिलिक लॉरिंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	36	36	2	0	1	1	0	2
	योग		36	36	2	0	1	1	0	2

कुलदीप किंशुक, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, करही पाडल्या, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

पाडल्या, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक 1145 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद करही पाडल्या, जिला खरगोन की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर परिषद करही पाडल्या, जिला खरगोन

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/सर्वग का नाम (नियमित/सविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशवत्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/सर्वग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%)	बहुरे और कम सुनने वाले (1.5%)	सायबेरोमोटर डिस्बिलिटी जिरामें लभिलित है, संदिग्ध पाल्सी, गुण्ड रोग गुण, मोनापन, एसिड अरेक पीडिल, भस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पोरिफिक लर्निंग डिस्बिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (सविदा)	चतुर्थ	10	10	1	0	1	0	0	1
	योग		10	10	1	0	1	0	0	1

शिवजी आर्य, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, भीकनगांव, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

भीकनगांव, दिनांक 6 अगस्त 2024

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद भीकनगांव, जिला खरगोन की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर परिषद भीकनगांव, जिला खरगोन

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम(नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है. संरक्षित पात्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, गौनापन, एसिड अटैक पीडित मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेशिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और यहुविकलांगता (1.5%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ	11	2	1	0	0	1	0	1
2	सफाई संरक्षक संविदा	चतुर्थ	22	22	1	0	0	0	1	1
	योग		33	24	2	0	0	1	1	2

रविकांत मगरदे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, सनावद, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

क्र. 2182-न.पा.-स्था.-2024

सनावद, दिनांक 7 अगस्त 2024

क्रमांक.....दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका परिषद सनावद, जिला खरगोन की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर पालिका परिषद सनावद, जिला-खरगोन

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए रवीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकामोटर हिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुछ रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेशल एडवेंसिज डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	45	45	3	1	1	1	0	3
	योग		45	45	3	1	1	1	0	3

राजेन्द्र मिश्रा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, चन्द्रशेखर आजाद नगर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

चन्द्रशेखर आजाद नगर, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक...867...दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद चन्द्रशेखर आजाद नगर., जिला-अलीराजपुर की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक नगर परिषद चन्द्रशेखर आजाद नगर., जिला-अलीराजपुर

अनुसूची- दो दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र	पद/सर्वग का नाम(नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/सर्वग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और दृकम सुनने वाले (1.5 %)	लोकमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एचिड अटेक पीडित, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिरोगिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ	22	14	1	0	0	1	0	1
2	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	14	14	1	1	0	0	0	1
	योग		36	28	2	1	0	1	0	2

सुशील ठाकुर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

अलीराजपुर, दिनांक 5 अगस्त 2024

कमांक 3600 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका परिषद अलीराजपुर, जिला-अलीराजपुर की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक नगर पालिका परिषद अलीराजपुर, जिला-अलीराजपुर

अनुसूची- दो दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9+10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और सुनने वाले (1.5 %)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीगारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	38	38	2	1	0	0	1	2
	योग		38	38	2	1	0	0	1	2

कमल मुझाल्दा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, जोबट, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

जोबट, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक 1.233...दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद जोबट, जिला-अलीराजपुर की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर पालिका जोबट, जिला-अलीराजपुर

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/सविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9+10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकोगोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, योनापन, एसिड अटेक पीडित, गस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ	24	10	1	0	0	0	1	1
2	सफाई संरक्षक (सविदा)	चतुर्थ	16	16	1	0	1	0	0	1
	योग		40	26	2	0	1	0	1	2

संतोष राठौर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद्, मेघनगर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

मेघनगर, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक 1499 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर मेघनगर जिला-झाबुआ की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद् द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक नगर मेघनगर जिला झाबुआ

अनुसूची- दो दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम(नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्ताजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्टबाधित और कम वृष्टि बाधित (1.5%)	बहर और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकामांटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, संरेबल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, यौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेशिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ	9	9	1	0	0	0	1	1
2	सफाई संरक्षक संविदा	चतुर्थ	19	19	1	0	0	1	0	1
	योग		28	28	2	0	0	1	1	2

राहुल वर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगरपालिका, झाबुआ, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक 31, 2, 3... दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका झाबुआ जिला झाबुआ की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर पालिका झाबुआ जिला झाबुआ

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम(नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्टबाधित और कम शक्ति बाधित (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीगारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ	24	24	2	0	0	1	1	2
2	सफाई संरक्षक संविदा	चतुर्थ	48	48	3	1	1	0	1	3
	योग		72	72	5	1	1	1	2	5

संजय पाटीदार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद्, रानापुर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

क्र. स्था.-2024-1071

रानापुर, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक.....दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर राणापुर जिला-झाबुआ की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर राणापुर जिला झाबुआ

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम(नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्टबाधित और कम शक्ति बाधित (1.5 %)	बहरे और दृकम सुनने वाले (1.5 %)	लोकामोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, यौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्क्युलर डिस्ट्रोफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पैसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीगारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक संविदा	चतुर्थ	16	16	1	0	1	0	0	1
	योग		16	16	1	0	1	0	0	1

संजय पाटीदार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, पेटलावद, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

पेटलावद, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक 3755 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पेटलावद जिला झाबुआ की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर पेटलावद जिला झाबुआ

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निराश्रितजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9+10)
						दृष्टबाधित और कम शक्ति बाधित (1.5%)	बहरे और चुनने वाले (1.5%)	लोकमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, युष्ट सेग मुक्त, वीनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ	20	9	1	0	0	1	0	1
2	सफाई संरक्षक संविदा	चतुर्थ	22	22	1	0	1	0	0	1
	योग		42	31	2	0	1	1	0	2

आशा जीतेन्द्र भण्डारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, थांदला, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

क्र. स्था.-न.प.-2024

थान्दला, दिनांक 7 अगस्त 2024

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद थांदला जिला झाबुआ (म.प्र.) की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची - एक
नगर परिषद थांदला जिला झाबुआ (म.प्र.)

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम (नेयमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9+10)
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकामाटर डिसेबिलिटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, योनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5 %)	ऑटिज्म, वौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीगारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई सरक्षक संविदा	यतुर्थ	21	21	1	1	0	0	0	1
	योग		21	21	1	1	0	0	0	1

पप्पू बारिया, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, डही, जिला धार, मध्यप्रदेश

डही, दिनांक 5 अगस्त 2024

क्रमांक...~~702~~...दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद डही, जिला धार की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर परिषद डही, जिला धार

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/ सविदा)	श्रेणी	सीधी मर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या)	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लाकागाटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, संरक्षण पाल्सी, कुष्ठ रोग गुल्फ, योनापन, एसिड अटक पीडित, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेशिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (सविदा)	चतुर्थ	12	12	1	1	0	0	0	1
	योग		12	12	1	1	0	0	0	1

रमेशचंद्र सतपुड़ा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगरपालिका, धार, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक 4280 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका धार जिला धार की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक नगर पालिका धार जिला धार

अनुसूची- दो दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पदों की संख्या	सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों की संख्या	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9+10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, यौनापन, एंसिड अटेक पीडित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहा.राज.निरी. (नियमित)	तृतीय	10	07	1	0	0	1	0	1
2	सहा.वर्ग-03 (नियमित)	तृतीय	13	10	1	0	0	0	1	1
3	भृत्य (संविदा)	चतुर्थ	16	16	1	0	0	0	1	1
4	सफाई संरक्षक संविदा	चतुर्थ	132	132	8	2	2	2	2	8
	योग		189	174	11	2	2	3	4	11

विकास डावर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, धार, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक...4280...दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका धार जिला धार की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद् द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक नगर पालिका धार जिला धार

अनुसूची- दो दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम(नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पदों की संख्या	सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों की संख्या	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या		योग (7+8+9 +10)		
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)		लोकमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, यौनापन, एसिड अटैक पीडित, भरकुलर डिस्ट्राफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहा.राज.निरी. (नियमित)	तृतीय	10	07	1	0	0	1	0	1
2	सहा.वर्ग-03 (नियमित)	तृतीय	13	10	1	0	0	0	1	1
3	भृत्य (संविदा)	चतुर्थ	16	16	1	0	0	0	1	1
4	सफाई संरक्षक संविदा	चतुर्थ	132	132	8	2	2	2	2	8
	योग		189	174	11	2	2	3	4	11

विकास डायर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, कुशी, जिला धार, मध्यप्रदेश

कुशी, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक...21.5.2...दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद कुशी, जिला धार की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक नगर परिषद कुशी, जिला धार

अनुसूची- दो दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद / संवर्ग का नाम (नियमित / संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या)	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद / संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9+10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक योग्यता और कृत्विकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	38	38	2	0	1	1	0	2
	योग		38	38	2	0	1	1	0	2

संजय कानूनगो, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, मांडव, जिला धार, मध्यप्रदेश

मांडव, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक...946.....दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद मांडव, जिला धार की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक

नगर परिषद मांडव, जिला धार

अनुसूची- दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9+10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडिल, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ	10	7	1	0	0	0	1	1
	योग		10	7	1	0	0	0	1	1

लालसिंग राठौर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, पीथमपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश

पीथमपुर, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक 5632 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका परिषद्, पीथमपुर जिला धार की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर पालिका परिषद्, पीथमपुर जिला धार

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/सर्वर का नाम (नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशचयजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/सर्वर एवं संख्या				योग (7+8+9+10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%)	यहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकमंदिर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मूत्र, बौनापन, एलड अटेक पीडित, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पर्शिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहा.राज.निरी. (नियमित)	तृतीय	18	8	1	0	1	0	0	1
2	सहा.वर्ग-03 (नियमित)	तृतीय	24	14	1	0	0	1	0	1
3	मृत्य (नियमित)	चतुर्थ	13	5	1	0	1	0	0	1
4	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ	84	63	5	1	2	1	1	5
5	मृत्य (संविदा)	चतुर्थ	27	27	2	0	1	1	0	2
6	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	168	168	10	2	2	3	3	10
	योग		334	285	20	3	7	6	4	20

निशिकांत शुक्ला, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश

सरदारपुर, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक 561 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद सरदारपुर, जिला धार की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर परिषद सरदारपुर, जिला धार

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9+10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकोगाटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	10	10	1	0	1	0	0	1
	योग		10	10	1	0	1	0	0	1

यशवत शुक्ला, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद्, राजगढ़, जिला धार, मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक.....656.....दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद राजगढ़, जिला धार की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर परिषद राजगढ़, जिला धार

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुयुक्तलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ	13	3	1	1	0	0	0	1
2	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	26	26	2	1	1	0	0	2
	योग		39	29	3	2	1	0	0	3

आरती ग्रेवाल, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगरपालिका, मनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश

मनावर, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक 2439 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका मनावर जिला धार की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर पालिका मनावर जिला धार

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्टबाधित और कम शक्ति बाधित (1.5 %)	बहरे और दृकम सुनने वाले (1.5 %)	लोकामोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहा.वर्ग-03 (नियमित)	तृतीय	11	6	1	1	0	0	0	1
2	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	40	40	2	0	0	1	1	2
	योग		51	46	3	1	0	1	1	3

संतोष चौहान, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, धरमपुरी, जिला धार, मध्यप्रदेश

धरमपुरी, दिनांक 7 अगस्त 2024

क्रमांक...1237...दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद धरमपुरी, जिला धार की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक नगर परिषद धरमपुरी, जिला धार

अनुसूची- दो दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/सविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9+10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीगारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ	11	10	1	0	1	0	0	1
2	सफाई संरक्षक (सविदा)	चतुर्थ	22	22	1	1	0	0	0	1
	योग		33	32	2	1	1	0	0	2

बलराम भुरे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, बदनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश

बदनावर, दिनांक 7 अगस्त 2024

क्रमांक 1357 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबन्धा के अधीन नगर परिषद बदनावर, जिला धार की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर परिषद बदनावर, जिला धार

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/स्थायी)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशचतजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9+10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लिंगांगदर हिसाबलेटा जिरांग सम्मिलित है. संरक्षित पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, वॉनपन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5 %)	ऑटिज्म, गौदिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुबिकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गाइड	चतुर्थ	26	26	2	1	0	0	1	2
	योग		26	26	2	1	0	0	1	2

संतराम चौहान, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, पुनासा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

क्र. न.प.-2024-416

पुनासा, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक..... दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद पुनासा, जिला-खंडवा की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर परिषद पुनासा, जिला-खंडवा

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए रचीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सामिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बानापन, एसिड अटेक पीडित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बोडिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक संविदा	चतुर्थ	16	16	1	0	0	0	1	1
	योग		16	16	1	0	0	0	1	1

दिलीप चौहान, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, पंधाना, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक 2283 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 17 के प्राधान्य के अन्तर्गत मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद पंधाना, जिला-खंडवा की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को विहायित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर परिषद पंधाना, जिला-खंडवा

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का वि-हायन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/सविदा)	श्रेणी	सीपी भती के लिए स्वीयता पद की संख्या	योग	निशचयन के लिए 6% के अनुसार वि-हायित किए जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार वि-हायित किए एवं संख्या			योग (210+110)	
						दुरु-संभित और कम से कम 15% के लिए संभित (15%)	बंदे और कम से कम 15% के लिए संभित (15%)	सोमोनेर वि-हायित किए संभित है विशेष पाली कृत सेम पृ-क भि-गण एरिन अदन-भो-अत परकुलर डि-ए-पे (15%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ	9	2	1	0	0	1	0	1
2	सफाई संरक्षक सविदा	चतुर्थ	18	18	1	1	0	0	0	1
	योग		27	20	2	1	0	1	0	2

मंशाराम बडोले, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, मुंदी, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश

मुंदी, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक १४६ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद मुंदी, जिला-खंडवा की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर परिषद मुंदी, जिला-खंडवा

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9+10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकोगाटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, यौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लार्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुयुक्तलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	सफाई संरक्षक संविदा	चतुर्थ	16	16	1	1	0	0	0	1
	योग		16	16	1	1	0	0	0	1

संजय जैन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, राऊ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

राऊ, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक 17-82 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद राऊ, जिला-इन्दौर की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर पालिका राऊ, जिला इन्दौरअनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम(नियमित/संविदा)	श्रेणी	सही वर्गों के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और धुंक्क सुनने वाले (1.5 %)	लोकगांठर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, संरेग्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, यौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारियाँ और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ	24	11	1	0	1	0	0	1
2	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	48	48	3	0	1	1	1	3
	योग		72	67	4	0	2	1	1	4

चंद्रशेखर निगम, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, बेटमा, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

क्र. 788-24

बेटमा, दिनांक 6 अगस्त 2024

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद बेटमा, जिला-इन्दौर की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक नगर परिषद बेटमा जिला इन्दौर

अनुसूची- दो दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम(नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्टबाधित और कग दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और दृक्क सुनने वाले (1.5 %)	लोकमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, संश्रयल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, योनापन, एसिड अटक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लार्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीगारी और बहुयुक्तलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	22	22	1	0	1	0	0	1
	योग		22	22	1	0	1	0	0	1

रंजना गोयल, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, गौतमपुरा, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

गौतमपुरा, दिनांक 6 अगस्त 2024

कमांक 2021 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबन्धों के अधीन नगर परिषद गौतमपुरा, जिला-इन्दौर की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर परिषद गौतमपुरा जिला इन्दौर

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद / संवर्ग का नाम (नियमित / संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए रचीकृत पद की संख्या	योग	निशक्ताजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद / संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9+10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकामोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेबल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडिल, मस्कुलर डिस्ट्रोफी (1.5 %)	ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लार्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
7	8	9	10	11						
1	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	20	20	1	1	0	0	0	1
	योग		20	20	1	1	0	0	0	1

मयूरी वर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, हातोद, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

हातोद, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक 924 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद हातोद, जिला-इन्दौर की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक नगर परिषद हातोद जिला इन्दौर

अनुसूची- दो दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम(नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्टबाधित और कम शक्ति बाधित (1.5 %)	बहरे और दृकम सुनने वाले (1.5 %)	लोकामोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लार्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	14	14	1	0	1	0	0	1
	योग		14	14	1	0	1	0	0	1

मनोज गगराडे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, मानपुर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

मानपुर, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक 994.....दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद मानपुर, जिला-इन्दौर की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर परिषद मानपुर जिला इन्दौर

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्रं.	पद / सभ्य का नाम (नियमित / संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद / संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्टबाधित और कम शक्ति बाधित (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लाकामाएर डिरोबिलिटी जिसमें सम्मिलित है संरक्षित पाल्सी कुष्ठ रोग मृग, बौनापन, एम्ब्लिअटेक पीडित भरकुलर डिस्ट्राफी (1.5 %)	ऑटिज्म वौद्धिक दिव्यांगता, स्पेरिफिक लर्निंग डिस्बिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुदेकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक	चतुर्थ	15	13	1	0	0	1	0	1
2	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	10	10	1	0	0	0	0	1
योग			25	23	2	1	0	1	0	2

संजय जैन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, नेपालनगर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

नेपालनगर, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक 1545 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका परिषद नेपालनगर, जिला-बुरहानपुर की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक नगर पालिका नेपालनगर, जिला-बुरहानपुर

अनुसूची- दो दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम(नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और दृक्म सुनने वाले (1.5 %)	लोकमोटर डिसेबिलिटी जिसमे सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेशिफिक लर्निंग डिरोबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुबिकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ	20	19	1	0	1	0	0	1
2	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	40	40	2	0	1	0	1	2
	योग		60	59	3	0	2	0	1	3

शैलेन्द्र चौहान, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, शाहपुर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

नेपानगर, दिनांक 7 अगस्त 2024

क्रमांक. 16.02...दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद शाहपुर, जिला-बुरहानपुर की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर परिषद शाहपुर, जिला-बुरहानपुर

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुरार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9+10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकमोटर डिसेबिलिटी जिरामे सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी कुष्ठ रोग युक्त, बौनापन, एरिड अटक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रफी (15%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेशिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुपिकलांगता (15%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	26	26	2	0	1	0	1	2
	योग		26	26	2	0	1	0	1	2

जगदीश प्रसाद गुहा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, खेतिया, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

क्र. 612-2024

खेतिया, दिनांक 5 अगस्त 2024

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद खेतिया जिला बड़वानी की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर परिषद खेतिया, जिला बड़वानी

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम(नियमित/सविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्टबाधित और कम श्रि बाधित (1.5 %)	बहरे और दुकग सुनने वाले (1.5 %)	लोकामोटर डिसेबिलिटी जिसमे सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मूत्र, योनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (सविदा)	चतुर्थ	20	20	1	0	0	1	0	1
	योग		20	20	1	0	0	1	0	1

ईश्वर महाले, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, ठीकरी, जिला बडवानी, मध्यप्रदेश

ठीकरी, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक.....**2263** ...दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद ठीकरी जिला बडवानी की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर परिषद ठीकरी, जिला बडवानी

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्ताजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्ट्यबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	यहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बी-नापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बंदक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ	10	10	1	1	0	0	0	1
2	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	20	20	1	0	0	1	0	1
	योग		30	30	1	1	0	1	0	2

प्रेम वासूरे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद्, निवाली, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

निवाली, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक 2019 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्राधान्यों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद निवाली जिला बड़वानी की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर परिषद निवाली, जिला बड़वानी

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/सर्वग का नाम (नियमित/संविदा)	श्रेणी	संश्लेषण के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निराकाशन के लिए 6 के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6)	दिव्यांगजन अनुसूची के अनुसार अंश प्रतिशत (1.5%)	वर्तमान पदों की संख्या (15%)	रूपांतरित किये गये पद/सर्वग का नाम (15%)	अंश प्रतिशत (1.5%)	योग (7+8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ	13	13	1	0	1	0	0	1

रूपसिंह सोलंकी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, पलसूद, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

पलसूद, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक 1237 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद पलसूद जिला बड़वानी की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हीत विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांग के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर परिषद पलसूद, जिला बड़वानी

अनुसूची - दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्रं.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों की लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता	वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि
				दृष्टिबाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सोरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविफलांगता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नियमित									
1	सफाई संरक्षक	चतुर्थ	1550-49000 Level-1	0	0	1	0	5 वी उत्तीर्ण	पात्र अभ्यर्थियों को वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि एवं समय की सूचना पृथक से दी जावेगी।

राजेन्द्र कुमार शर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, पालसेमल, जिला बडवानी, मध्यप्रदेश

पानसेमल, दिनांक 5 अगस्त 2024

क्रमांक. 1842 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद पानसेमल जिला बडवानी की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर परिषद पानसेमल, जिला बडवानी

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम(नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्टबाधित और कम शक्ति बाधित (1.5 %)	बहरे और दृक्म सुनने वाले (1.5 %)	लोकमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं. सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बानापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5 %)	ऑटिज्म, गौदिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	24	24	1	1	0	0	0	1
	योग		24	24	1	1	0	0	0	1

रामप्रसाद भावरे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर पालिका, सेंधवा, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

सेंधवा, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक...१११९...दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका सेंधवा जिला बड़वानी की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर पालिका सेंधवा जिला बड़वानी

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम(नियमित/ संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और दृकम सुनने वाले (1.5 %)	लोकामोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है. सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, यौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीगारी और बहुयुक्तलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहा.वर्ग-03 (नियमित)	तृतीय	13	8	1	0	0	1	0	1
2	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ	37	7	2	0	0	1	1	2
3	भृत्य (संविदा)	चतुर्थ	16	16	1	1	0	0	0	1
4	सफाई संरक्षक संविदा	चतुर्थ	74	74	4	1	1	1	1	4
	योग		140	105	8	2	1	3	2	8

मधु चौधरी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, राजपुर, जिला बडवानी, मध्यप्रदेश

राजपुर, दिनांक 6 अगस्त 2024

कमांक 1944 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद राजपुर जिला बडवानी की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक नगर परिषद राजपुर, जिला बडवानी

अनुसूची- दो दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम(नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्टबाधित और कम शक्ति बाधित (1.5 %)	बहरे और दूकम सुनने वाले (1.5 %)	लोकमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीगारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	28	28	2	0	0	1	1	2
	योग		28	28	2	0	0	1	1	2

मयाराम सोलंकी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद्, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

कुरवाई, दिनांक 7 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/739. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद् कुरवाई जिला विदिशा की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद् कुरवाई जिला विदिशा

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 :)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+ 8 + 9 + 10)	रिमार्क
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5:)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5:)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5:)	ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5:)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	10	31	0	0	0	0	0	0	
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संविदा)	21		1	0	0	1	0	1	
योग			31	31	1	0	0	1	0	1	

मो. यासिर खान, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, शमशाबाद, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

शमशाबाद, दिनांक 9 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/.512 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अन्तर्गत में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अन्तर्गत नगर परिषद शमशाबाद जिला विदिशा की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पथों को चिह्नकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद शमशाबाद जिला विदिशा

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पथों का चिह्नकन

क्र.	श्रेणी	पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/संवैधानिक)	सीवी पथों के विधे स्वीकृत पथ (संख्या)	योग	निश्चित पथों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिह्नकित किये जाने हेतु पथों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिह्नकित किये गये पद/संवर्ग पथ संख्या				योग (7+ 8 + 9 + 10)	रिक्त
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पारसी, कुछ तेज मुका, बीनापन, एसिड अटेक पी... मस्कुर (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और शारीरिकता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	8		0	0	0	0	0	0	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संवैधानिक)	15	23	1	1	0	0	0	1	-
योग			23	23	1	1	0	0	0	1	-

मो. सलीम खान, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, रतनगढ़, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

रतनगढ़, दिनांक 19 जुलाई 2024

क्रमांक/स्था./1644 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्याक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबन्धों के अधीन नगर परिषद रतनगढ़ जिला नीमच की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची-एक
नगर परिषद रतनगढ़ जिला नीमच म.प्र.
अनुसूची - दो
दिव्यांगजनों के लिए पदों का चिन्हांकन

स. क.	श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निःशक्तजनों के लिए 6 प्रति. के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6प्रति.)	दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तिया				योग (6+7+8+9)	रिमांक
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल, पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5%)	ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (नियमित)	05	16	0	0	0	0	0	0	-
2		सफाई संरक्षक (संविदा)	11		01	0	0	01	0	01	
योग			16	16	01	0	0	01	0	01	

गिरीश शर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, खातेगांव, जिला देवास, मध्यप्रदेश

रतनगढ़, दिनांक 19 जुलाई 2024

कर्मांक 1321/2024 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का अधिनियम संख्याक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबन्धों के अधीन नगर परिषद खातेगांव, जिला देवास की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये एतद् द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची-एक
नगर परिषद खातेगांव, जिला देवास (म0प्र0)

अनुसूची-दो
दिव्यांगजनों के लिए पदों को चिन्हांकन

क.	श्रेणी	पद संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निःशक्तजनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित हेतु पदों की संख्या (6 प्रतिशत)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग(7+8+9+10)	रिमांक
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5 प्रतिशत)	ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रतिशत)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	तृतीय	सहा.ग्रेड 03 (नियमित)	11	11	1	0	1	0	0	1	-
2	चतुर्थ	सफाई सरंक्षक (नियमित)	18	55	1	0	0	1	0	1	-
3		सफाई सरंक्षक (संविदा)	37		2	1	0	0	1	2	-
योग			66	66	4	1	1	1	1	4	-

निखलेश चिंतामन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, कन्नौद, जिला देवास, मध्यप्रदेश

कन्नौद, दिनांक 19 जुलाई 2024

कमांक 1279/2024 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्याक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबन्धों के अधीन नगर परिषद कन्नौद, जिला देवास की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये एतद् द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची-एक

नगर परिषद कन्नौद, जिला देवास (म0प्र0)

अनुसूची-दो

दिव्यांगजनों के लिए पदों को चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निःशक्तजनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित हेतु पदों की संख्या (6 प्रतिशत)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग(7+8+9+10)	रिमांक
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5 प्रतिशत)	ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रतिशत)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चतुर्थ	सफाई सरक्षक (नियमित)	12	35	1	0	1	0	0	1	-
2		सफाई सरक्षक (संविदा)	23		1	0	0	0	1	1	-
योग			35	35	2	0	1	0	1	2	-

निखलेश चिंतामन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.